

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
चौकसीन अधिकारी- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्थान आवेदन संख्या :- 10/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/18

प्राप्ती

बनाम

विप्राधीन

हिमताराम पुत्र भारणाराम
जाति भाई निवासी थोब
तहसील कल्याणपुर

1. पुष्पादेवी पत्नी करनाराम जाति जाट
निवासी उदय शक्ति स्टेशन कुडी
भगतसाणी रोड जोधपुर जिला जोधपुर
2. अचलाराम पुत्र मेराम जाति चौधरी
निवासी रामनगर तहसील कल्याणपुर
3. कुम्भाराम पुत्र तुलछा जाति चौधरी
निवासी थोब तहसील कल्याणपुर
4. तिलाराम पुत्र तुलछा जाति चौधरी
निवासी थोब तहसील कल्याणपुर
5. भूराराम पुत्र तुलछा जाति चौधरी
निवासी थोब तहसील कल्याणपुर
6. मनीषा पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति जाट
निवासी सारण नगर, जोधपुर
7. गुमानसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत
निवासी रामनगर तहसील कल्याणपुर
8. पाबूसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत
निवासी थोब तहसील कल्याणपुर
9. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं
विनियोजन निगम लिमिटेड पता खेड़
रोड़ औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा तहसील
पचपदरा व जिला बालोतरा
10. गफूर खां पुत्र फकीर खां जाति तेली
निवासी थोब तहसील कल्याणपुर
11. बाबू खां पुत्र फकीर खां जाति तेली
निवासी थोब तहसील कल्याणपुर
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
कल्याणपुर



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:-

1. श्री अचलाराम धोरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सुरेश नारायण खारवाल अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 09
3. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 7 व 11
4. श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 6
5. विप्रार्थी संख्या 02 से 5 व 8 एवं 10,12 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 06/12/2024

1. संहिप्त में आवेदन के सुरंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रामनगर पटवार क्षेत्र थोब तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा संख्या 575/150 क्षेत्रफल 2.2258 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम रामनगर पटवार क्षेत्र थोब तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा संख्या 575/150 क्षेत्रफल 2.2258 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री सुरेश नारायण खारवाल द्वारा विप्रार्थी संख्या 9 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता श्री दिनेश कुमावत द्वारा विप्रार्थी संख्या 7 व 11 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता श्री वीराराम प्रजापत द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 व 6 की ओर से वकालतनामा पेश कर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 से 5 व 8 एवं 10,12 को सुनवाई के उपरान्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रामनगर पटवार क्षेत्र थोब तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा संख्या 575/150 क्षेत्रफल 2.2258 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आए दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बलोटरा

करने के उपरान्त भी विप्राथी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अतं निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रामनगर पटवार क्षेत्र थोब तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा संख्या 575/150 क्षेत्रफल 2.2258 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी के आदेश करमावे जावे।

4. विप्राथी संख्या 08 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। क्योंकि मूल खसरा संख्या 149, 150 व 151 वक्त सेटलमेंट से बिला कब्जा गैर मुगकिन भूमि राजस्व रेकर्ड में अवस्थित थी, उसके बाद उक्त भूमि कब्जे के अनुसार प्रार्थी व अन्य व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा आवंटन की गई। प्रार्थी व विप्राथी के मध्य सीमाओं को लेकर कोई विवाद नहीं है तथा न ही विप्राथी द्वारा प्रार्थी के कब्जा में दखलदान्जी की गई है। जबकि विप्राथी संख्या 7 व 8 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 148 रकबा 09 बीघा भूमि स्वर्गीय किशोरसिंह की खुदकाशत खातेदारी होने से वक्त जागीरी व सेटलमेंट उनके खातेदारी में दर्ज हुई तथा उनके वफात के बाद उसके पुत्र खीमसिंह को प्राप्त हुई तथा खीमसिंह के वफात के बाद भूमि विरासत में विप्राथी संख्या 7 व 8 को प्राप्त हुए। इस प्रकार उक्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट पूर्व से आदिनांक विप्राथी संख्या 7 व 8 के हकपूर्वाधिकारी एवं विप्राथी का कब्जा काशत चला आ रहा है तथा भूमि के चारो तरफ तारबंदी की गई हैं। विवादित आराजी ग्राम थोब व केलनकोट की सीमाओं पर स्थित है, जो माफिक रेकर्ड, नक्शा व मौके की स्थिति में भिन्नता है। जिसके कारण सीमाओं को लेकर ओवर लेपिंग का मामला है। इस प्रकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि के लगती विप्राथी की खातेदारी भूमि अवस्थित नहीं है। केवलमात्र परेशान करने की नियत से ही विप्राथी को पक्षकार बनाया गया है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थी नेखमबंदी की आड़ में मौका स्थिति फेरदबल करने की फिराक में है। अतं प्रार्थी का आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

5. विप्राथी संख्या 09 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में विप्राथी



द्वारा कभी दखलदान्जी नहीं की गई है। विप्राथी सरकारी उपक्रम होने के कारण भूमि आवंटन हो रखा है तथा आवंटन शुदा भूमि पर ही कब्जा चला आ रहा है। इस कारण विप्राथी की खातेदारी नाप व कब्जे अनुसार जमीन को छोड़कर विप्राथी की उपस्थिति में नेखमबंदी कार्यवाही की जावे।

6. विप्राथी संख्या 07 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी की जाती है, तो विप्राथी को आपति नहीं है।

7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिर्कोर्ड, दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रामनगर पटवार क्षेत्र थोब तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा संख्या 575/150 क्षेत्रफल 2.2258 हैक्टर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की नैखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे।

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 02.1.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचारधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। इससे यह साबित नहीं होता है कि सीमाओं को लेकर विवाद हो। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बावत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

8. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिक स्वीकार किया जायेगा।



—:आदेश:—

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रामनगर पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा संख्या 575/150 क्षेत्रफल 2.2258 हैक्टर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो, तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 06.12.2024 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

06/12/24